(138)

(245)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल,
सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

विलोपित / विलोपित   विलोपित / विलोपित

III/ निग0/रीवा/2017/2703   Rs.30/-

देवेन्द्र बहादुर तनय बृजमोहन सिंह, निवासी ग्राम लालगंज तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा (म0प्र0)

————**आवेदक**

बनाम्

धीरेन्द्र प्रताप शुक्ला तनय राधारमण शुक्ला, ग्राम डिहिया, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा (म0प्र0)

————**अनावेदक**

अधि0 श्री रजनीश मिश्रा
द्वारा पेश 16.8.17

निगरानी विरूद्ध आदेश रा0नि0 वृत्त **नईगढ़ी**, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा **दिनांक** 13/06/2017 बावत प्रकरण क्र0–31/अ–12/2016–17
अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू. रा0 संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया व अभिलेख के विपरीत है ।

2– यह कि अनावेदक व आवेदक दोनो सरहद्दी भूमिस्वामी है व अना0 की भूमि नं0–3077, 3078 जिसका कथित सीमांकन किया गया है, से लगी दक्षिण तरफ आवेदक की भूमि नं0–3076/5/1 मौजूद है, इस तरह आवेदक इस सीमांकन प्रकरण में एक आवश्यक व उचित पक्षकार है परन्तु आवेदक को प्रकरण में बगैर पक्षकार बनाये आलोच्य आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है ।

(138)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 2703 जिला–रीवा

देवेन्द्र बहादुर / धीरेन्द्र प्रताप शुक्ला

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त नईगढ़ी, तहसील नईगढ़ी के प्रकरण क्रमांक 31 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 13.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	